रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1934] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940
No. 1934] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

का. आ. 2145(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जिसकी स्थापना शासकी आदेश सं.364-फारेस्ट एण्ड आर एण्ड डी (फारेस्ट-III) दिनांक 20 मई, 1978 के द्वारा की गई थी। यहां विविध प्रकार की वनस्पति एवं जीवजन्तुओं के पर्यावास हैं। सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य की गोदावरी नदी

बारहमासी पानी का स्त्रोत होने के साथ- एक तालाब रूप में एक आदर्श मगरमच्छ का पर्यावास है, जिसे स्थानीय भाषा में "मदुगु" कहा जाता है। सीवारम अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 29.81 वर्ग किलोमीटर है।

और, अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, यहां विभिन्न स्तरों के नृजातीय दबावों को विनियमित किया जाना है क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी प्रणाली के एकदम आस-पास का क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है जो इस संरक्षित क्षेत्र को बहुत प्रभावित करता हैं;

और, सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य गोदावरी नदी का एक विशाल बारहमासी जल निकाय है जो जलीय जीवजंतुओं से भरपूर जिनमें मगरमच्छ, कछुए, स्तनधारी, सरीसृप, मछलियां, उभयचर; पक्षी और अकशेरूकी शामिल हैँ। अभयारण्य के आसपास स्थलीय जीवजंतुओं में भारतीय फ्लाइंग लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), सामान्य लंगूर *(परेसबयटीस इन्तेल्लुस),* रीछ (*मेलउर्सुस उर्सिनस*), भारतीय जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), चौसिंघा (*टेक्टरकेरुस क्वॉड्रिकॉर्मिस),* नीलगाय *(बोसेलाफुस ट्रागोकमेलुस)* आदि शामिल हैं; समीपवर्ती वनों में मुख्यत: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मुख्य वनस्पति में अनोगेइससूस लटिफोलिया, ट्रमिनालिया टोमेंटोसे, क्लेस्टंटुस कोल्लनुस, स्ट्रेकुलिया उरेनस, हरदविकीया बिनाटा, मधुका इंडिका, लगेरस्ट्रोइमे लिया परविफोलोरा, लांनी कोरोमेंदेलिका (एल. ग्रांदीस), ट्रमिनालिया टोमेंटोसा, ट्रमिनालिया अरजुना, वारीघाटिया टीनेटोरीया, दीओसपयरोस मेलानोक्यलोन, स्टेयछोस पोटोटोरूम, स्ट्रिच्नोस स्ट्रिच्नोस नुक्स-वोमिका, सेमिकारपुर अनाकरदीयम, शामिल है।

और, सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 6.25 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 1 किलोमीटर से 6.25 किलोमीटर तक है और इसका क्षेत्रफल 121.14 वर्ग किलोमीटर है।

(2) सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और

इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्: —

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;
(x) पंचायती राज और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा: —

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजना शामिल की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् : —

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि,

पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**—तेलंगाना राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**—ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**—जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा: —

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**: — पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** — पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट**: — पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:** — सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:** — वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** — (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** —- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और

	आधारित उद्योगों की स्थापना।	विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजांर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :— (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और

		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने की वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।

20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप		
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	दक्षता विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है—

(i) संबंधित जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट -अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा –सदस्य;

(iii) राज्य की प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से एक पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ –सदस्य;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड –सदस्य;

(v) क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक/जिला पंचायत अधिकारी –सदस्य;

(vi) राज्य सरकार द्वारा नामित एक जैवविविधता विशेषज्ञ –सदस्य;

(vii) वन मंडल अधिकारी, चेनूर-सदस्य सचिव (चेंन्नूर मंडल के लिए) –सदस्य;

(viii) जिला वन अधिकारी, पेद्दापल्ली-सदस्य सचिव (पेद्दापल्ली मंडल के लिए) –सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:—

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूचियों तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध

क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा0सं0 25/33/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य, तेंलगाना का मानचित्र

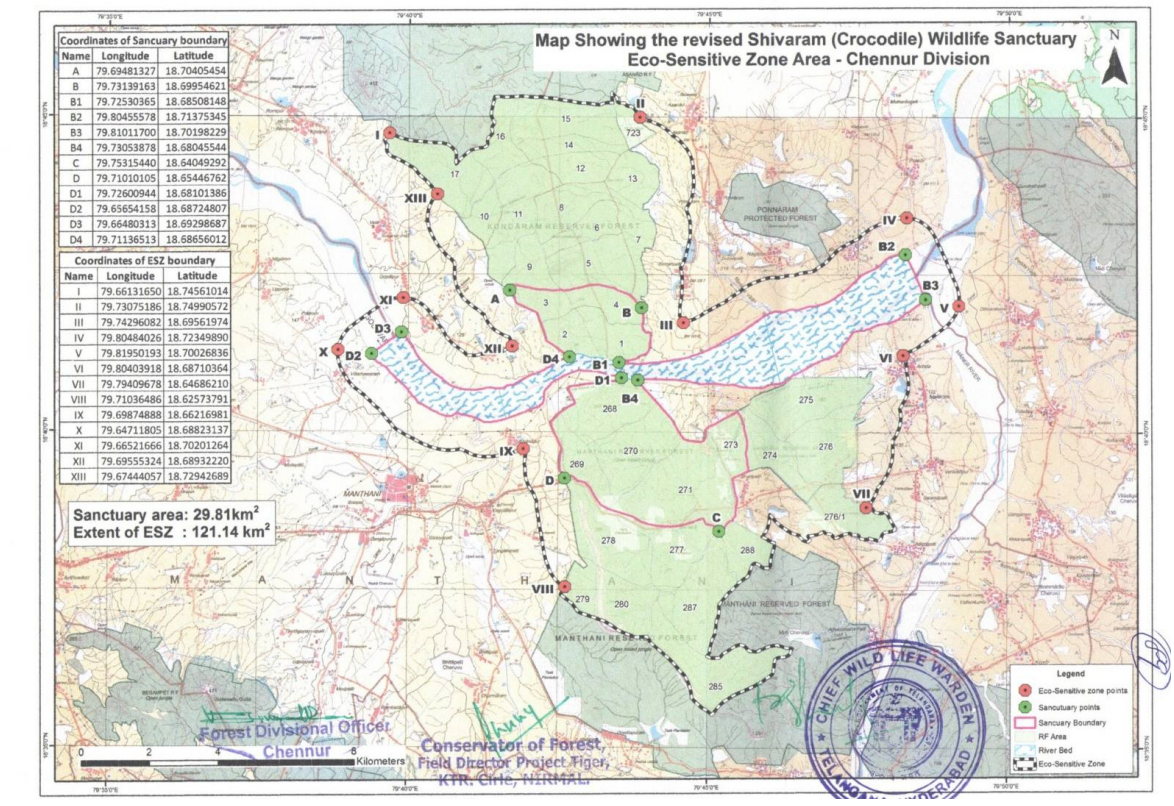

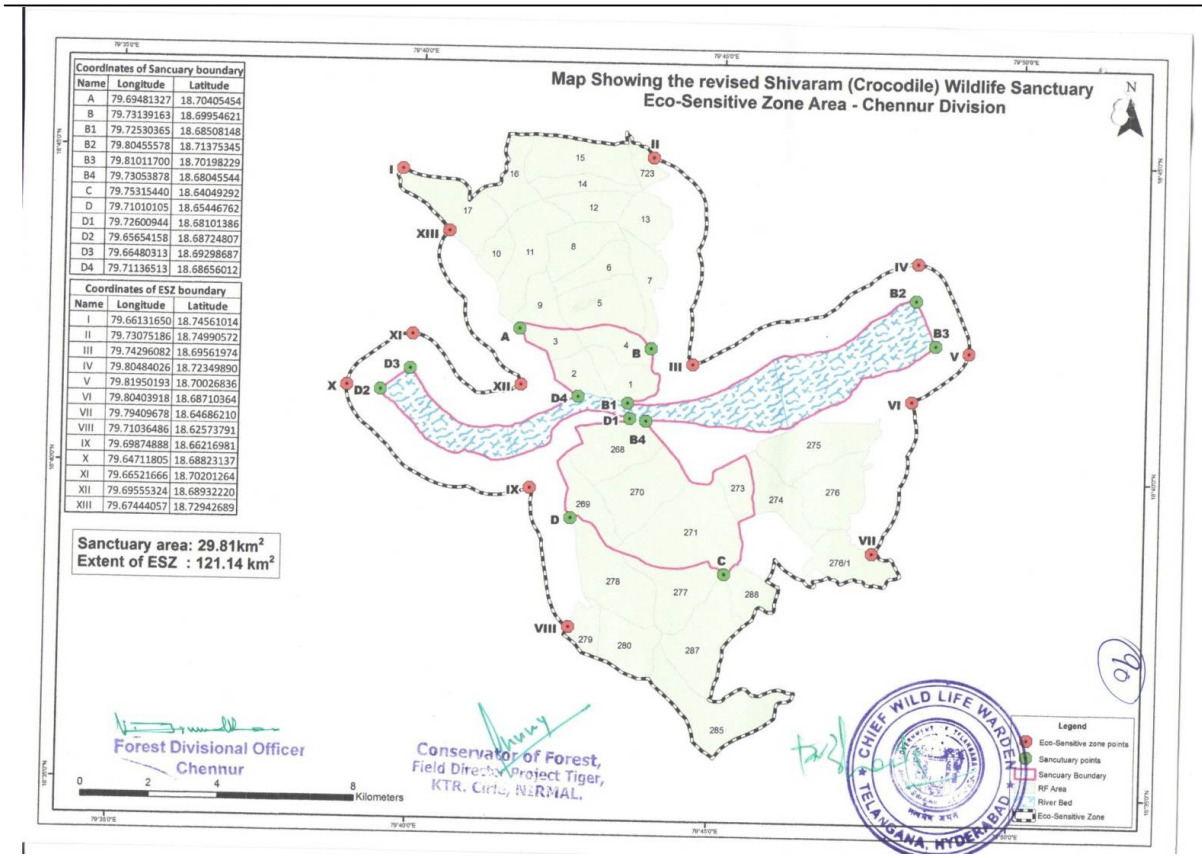

उपाबंध-II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं:

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा स्टेशन सं 1 से आरंभ होती है जो कि कम्पार्टमेंट सं. 17 (अक्षांश-देशांतर 18.74561014- 79.66131650) का उत्तर पश्चिम कोना है और स्टेशन सं II (अक्षांश-देशांतर 18.74990572-79.73075186) पर पहुंचकर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से लगभग 5.67 किलोमीटर से 5.76 किलोमीटर तक की चौडाई के साथ कुंदरम आरक्षित वन को कम्पार्ट.सं.17,16,15 और असंद आरक्षित वन कम्पार्ट.सं 723 की सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है। स्टेशन सं. II से यह वन सीमा को छोडकर गैर-वन भूमि में जाती है और चेन्नूर मंडल के अंसद, पोन्नरम और सोमनपल्ली ग्राम शिवरों के ग्रामों से होते हुए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से लगभग 1.30 किलोमीटर से 5.70 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में जाकर स्टेशन सं. III (अक्षांश-देशांतर 18.69561974-79.74296082) पर पहुंचती है।

पूर्व: स्टेशन सं.III से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा गोदावरी नदी के उत्तर तट से लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की ओर जाकर चेन्नूर मंडल के सोमनपल्ली, नागपुर और बीरेल्ली ग्रामों के ग्राम शिवरों के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से होते हुए स्टेशन सं. IV (अक्षांश-देशांतर 18.72349890-79.80484026) पर पहुंचती है इसके बाद गोदावरी नदी को पार करके 1.0 किलोमीटर की चौडाई के साथ दक्षिण की ओर जाती है और मनेरू नदी में स्थित स्टेशन सं. V (अक्षांश-देशांतर 18.70026836-79.81950193)पर पहुंचकर पेद्दापल्ली जिले में जाती है। इसके बाद सीमा गोदावरी नदी के दक्षिण तट से लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी बनाकर पश्चिम की ओर जाती है और अरेंडा ग्राम (अक्षांश देशांतर 18.68710364-79.80403918) के निकट स्टेशन सं VI पर पहुंचती है। इसके बाद मल्लाराम, वेंकटापुर और सवनपल्ली के ग्राम शिवरों से होते हुए संरक्षित क्षेत्र सीमा से लगभग 4.75 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर जाकर स्टेशन सं.VII (अक्षांश-देशांतर

18.64686210-79.79409678) पर पहुंचती है जो मंथनी आरक्षित वन के कम्पार्टमेंट सं. 276/1 की आरक्षित वन सीमा पर स्थित है।

दक्षिण: स्टेशन सं VII से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा 2.00 किलोमीटर से 4.50 किलोमीटर तक की चौड़ाई के साथ कम्पार्ट सं. 276/1, 288, 287, 285, 280, 279 की सीमाओं के साथ पश्चिम की ओर जाती है और स्टेशन सं VIII पहुंचती है जो कि कम्पार्ट सं 279 (अक्षांश-देशांतर 18.62573791-79.71036486) के दक्षिण पश्चिमी कोने पर स्थित है।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा स्टेशन सं VII से वन क्षेत्र को छोड़कर गैर-वन भूमि में जाती है और खानापुर ग्राम (अक्षांश-देशांतर 18.66216981-79.69874888) के निकट स्टेशन सं.IX पर पहुंचकर 1.16 से 2.87 किलोमीटर तक की चौड़ाई के साथ शतरूलापल्ली इग्लासपुर और खानापुर के ग्राम शिवरों से होते हुए उत्तर की ओर जाती है। इसके बाद रेखा गोदावरी नदी के दक्षिणी तट से लगभग 1.00 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर जाकर विलोचावरम ग्राम की गैर-वन भूमियों से होते हुए संरक्षित क्षेत्र की दिशा में जाती है और स्टेशन सं. X पर पहुंचती है जो कि विलोचावरम से पोवनूर कार्ट ट्रैक(अक्षांश-देशांतर 18.68823137-79.64711805) तक 1.00 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा गोदावरी नदी को पार करके उत्तर पूर्व में जाकर गोपालपुर ग्राम (अक्षांश-देशांतर 18.70201264-79.66521666) के निकट स्टेशन सं XI पर पहुंचती है। इसके बाद यह गोदावरी नदी के उत्तरी तट से 1.00 किलोमीटर से 1.70 किलोमीटर तक की चौड़ाई के साथ दूरी बनाकर पोवनूर और शिवाराम के ग्राम शिवरों से होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है जो कि संरक्षित क्षेत्र सीमा है और शिवाराम ग्राम (अक्षांश-देशांतर 18.68932220-79.69555324) के निकट स्टेशन सं XII पर पहुंचती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा गोपालपुर और बेलल के ग्राम शिवरों से होते हुए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.50 किलोमीटर से 2.10 किलोमीटर तक की चौड़ाई पर दूरी बनाकर उत्तर की ओर जाती है और स्टेशन सं XIIIपर पहुंचती है जो कि कम्पार्टमेंट सं 17 (अक्षांश-देशांतर 18.72942689-79.67444057) में आरक्षित वन की सीमा पर स्थित है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 17 के साथ संरक्षित क्षेत्र की सीमा से लगभग 4.50 किलोमीटर से 5.00 किलोमीटर तक की चौड़ाई के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और स्टेशन सं. 1 पर पहुंचती है।

उपाबंध-III

सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य, तेलंगाना की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1.	79.66639	18.70082	41.	79.81899	18.69973
2.	79.66983	18.70014	42.	79.81635	18.69337
3.	79.67341	18.69745	43.	79.81003	18.68894
4.	79.67836	18.69047	44.	79.80454	18.68614
5.	79.68090	18.68834	45.	79.79858	18.68460
6.	79.68372	18.68617	46.	79.79425	18.68079
7.	79.68835	18.68609	47.	79.79163	18.67871
8.	79.69391	18.68671	48.	79.78584	18.67624
9.	79.69754	18.68820	49.	79.77852	18.67236

10.	79.69654	18.69056	50.	79.77526	18.67037
11.	79.69165	18.69342	51.	79.77103	18.66958
12.	79.68790	18.69965	52.	79.77134	18.66389
13.	79.68722	18.70309	53.	79.77165	18.65719
14.	79.68811	18.70757	54.	79.77111	18.65216
15.	79.69034	18.71080	55.	79.76839	18.64730
16.	79.69326	18.71275	56.	79.76704	18.63987
17.	79.69869	18.71340	57.	79.76206	18.63374
18.	79.70447	18.71240	58.	79.75460	18.63041
19.	79.71181	18.71223	59.	79.74875	18.63270
20.	79.72000	18.71353	60.	79.74220	18.63178
21.	79.72645	18.71269	61.	79.73546	18.63218
22.	79.73247	18.71056	62.	79.72966	18.63363
23.	79.73563	18.70862	63.	79.72565	18.63548
24.	79.74131	18.70199	64.	79.72046	18.63709
25.	79.74244	18.69719	65.	79.71534	18.64014
26.	79.74387	18.69434	66.	79.71150	18.64451
27.	79.75018	18.69673	67.	79.70514	18.64714
28.	79.75366	18.69889	68.	79.70130	18.65408
29.	79.75816	18.70142	69.	79.70111	18.66010
30.	79.76451	18.70529	70.	79.70038	18.66144
31.	79.76937	18.70653	71.	79.69240	18.65935
32.	79.77509	18.70716	72.	79.68701	18.65962
33.	79.78066	18.70826	73.	79.68245	18.66114
34.	79.78756	18.71358	74.	79.67527	18.66141
35.	79.79300	18.71668	75.	79.66678	18.66536
36.	79.79870	18.72078	76.	79.66100	18.67110
37.	79.80487	18.72271	77.	79.65419	18.67691
38.	79.81076	18.72231	78.	79.64922	18.68329
39.	79.81563	18.71744	79.	79.65117	18.69310
40.	79.81765	18.70771	80.	79.65754	18.69712
			81.	79.66191	18.69963

सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य, तेलंगाना के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	79.66639	18.70082	41.	79.81899	18.69973
2.	79.66983	18.70014	42.	79.81635	18.69337
3.	79.67341	18.69745	43.	79.81003	18.68894
4.	79.67836	18.69047	44.	79.80454	18.68614
5.	79.68090	18.68834	45.	79.79858	18.68460
6.	79.68372	18.68617	46.	79.79425	18.68079
7.	79.68835	18.68609	47.	79.79163	18.67871
8.	79.69391	18.68671	48.	79.78584	18.67624
9.	79.69754	18.68820	49.	79.77852	18.67236
10.	79.69654	18.69056	50.	79.77526	18.67037
11.	79.69165	18.69342	51.	79.77103	18.66958
12.	79.68790	18.69965	52.	79.77134	18.66389
13.	79.68722	18.70309	53.	79.77165	18.65719
14.	79.68811	18.70757	54.	79.77111	18.65216
15.	79.69034	18.71080	55.	79.76839	18.64730
16.	79.69326	18.71275	56.	79.76704	18.63987
17.	79.69869	18.71340	57.	79.76206	18.63374
18.	79.70447	18.71240	58.	79.75460	18.63041
19.	79.71181	18.71223	59.	79.74875	18.63270
20.	79.72000	18.71353	60.	79.74220	18.63178
21.	79.72645	18.71269	61.	79.73546	18.63218
22.	79.73247	18.71056	62.	79.72966	18.63363
23.	79.73563	18.70862	63.	79.72565	18.63548
24.	79.74131	18.70199	64.	79.72046	18.63709
25.	79.74244	18.69719	65.	79.71534	18.64014
26.	79.74387	18.69434	66.	79.71150	18.64451
27.	79.75018	18.69673	67.	79.70514	18.64714
28.	79.75366	18.69889	68.	79.70130	18.65408
29.	79.75816	18.70142	69.	79.70111	18.66010
30.	79.76451	18.70529	70.	79.70038	18.66144

31.	79.76937	18.70653	71.	79.69240	18.65935
32.	79.77509	18.70716	72.	79.68701	18.65962
33.	79.78066	18.70826	73.	79.68245	18.66114
34.	79.78756	18.71358	74.	79.67527	18.66141
35.	79.79300	18.71668	75.	79.66678	18.66536
36.	79.79870	18.72078	76.	79.66100	18.67110
37.	79.80487	18.72271	77.	79.65419	18.67691
38.	79.81076	18.72231	78.	79.64922	18.68329
39.	79.81563	18.71744	79.	79.65117	18.69310
40.	79.81765	18.70771	80.	79.65754	18.69712
			81.	79.66191	18.69963

उपाबंध IV

सीवारम (मगरमच्छ) वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम	राजस्व मंडल	जिला	भू-निर्देशांक	
				अक्षांश	देशांतर
1.	पोवनूर	जयपुर	मंचेरीया	18.70602	79.67827
2.	सिवारम	जयपुर	मंचेरीया	18.68749	79.68809
3.	सोमंपाल्लय	चेंन्नूर	मंचेरीया	18.70594	79.74349
4.	गोपालपुर	जयपुर	मंचेरीया	18.70358	79.66721
5.	भाटपल्लय	मंथनी	पेद्दापल्ली	18.64632	79.75861
6.	खानापुर	मंथनी	पेद्दापल्ली	18.66373	79.69731
7.	खांसिपत	मंथनी	पेद्दापल्ली	18.66212	79.74982
8.	विलोचावरम	मंथनी	पेद्दापल्ली	18.68216	79.64934
9.	अरेंदा	मंथनी	पेद्दापल्ली	18.684589	79.80522

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

S.O. 2145(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary is one of the oldest Protected Areas of the State of Telangana established vide GO Ms.No.364 Forest & R&D (For.III) Dt.20.05.1978. It is an abode for a variety of flora and fauna. The Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary is an ideal Crocodile Habitat with perennial water source in River Godavari in the form of a pond, locally called as "Madugu". The total area of the Siwaram Sanctuary is 29.81 Sq. Kms.

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of the rich biodiversity of the Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this PA;

AND WHEREAS, the Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary is a largely perennial water body of Godavari River with rich aquatic fauna including Crocodiles, Turtles, Mammals, Reptiles, Fishes, Amphibians, Birds and Invertebrates. The terrestrial fauna found around the sanctuary are Indian Flying Fox (Vulpes bengalensis), Common Langur (Presbytis entellus), Sloth bear (Melursus ursinus), Indian Wild Dog (Cuon alpinus), Indian Fox (Vulpes bengalensis), Jackal (Canis aureus), Spotted deer (Axis-Axis), Chousingha (Tectracerus quadricormis), Nilgai (Boselaphus tragocamelus) etc., the adjacent forests is mainly tropical dry deciduas mixed forest.

AND WHEREAS, the main Flora available in the Eco-sensitive zone are Anogeissus latifolia, Terminalia tomentose, Cleistanthus collinus, Sterculia urens, Hardwickia binata, Madhuca indica, Lagerstroemia parviflora, Lannea coromandelica (L. Grandis), Terminalia tomentosa, Terminalia arjuna, Wrightia tinetoria, Diospyros melanoxylon, Strychnos potatorum, Strychnos nux-vomica, Semicarpus anacardium,

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area varying from 1 kilo meter to 6.25 kilo meters around the boundary of Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary in the State of Telangana as the Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**.-(1) The extent of Eco Sensitive Zone varying from 1 kilo meters to 6.25 kilo meters with an Eco Sensitive Zone area of 121.14 square kilometers.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure I;**

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**;

(4) The list of villages falling in the Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal and Urban Development;

(x) Panchayati Raj, and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Telangana State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.—The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.—**Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.—** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and

		(v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communi-cation towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of exis-ting roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted .
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and- Herbal .	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco- Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) Concerned Collector & District Magistrate — Chairman ;

(ii) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of Environment (including heritage conservation to be nominated by the State Government - Member;

(iii) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State — Member;

(iv) Regional Officer, State Pollution Control Board — Member;

(v) Senior Town Planner of the area/District Panchayat Officer — Member;

(vi) A Biodiversity expert nominated by the State Govt — Member;

(vii) Forest Divisional Officer, Chennur -Member secretary (For Chennur Division) — Member;

(viii) District Forest Officer, Peddapalli - Member secretary (For Peddapalli Division) — Member secretary.

6.Terms of Reference. —

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/33/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary, Telangana along with Eco-Sensitive Zone

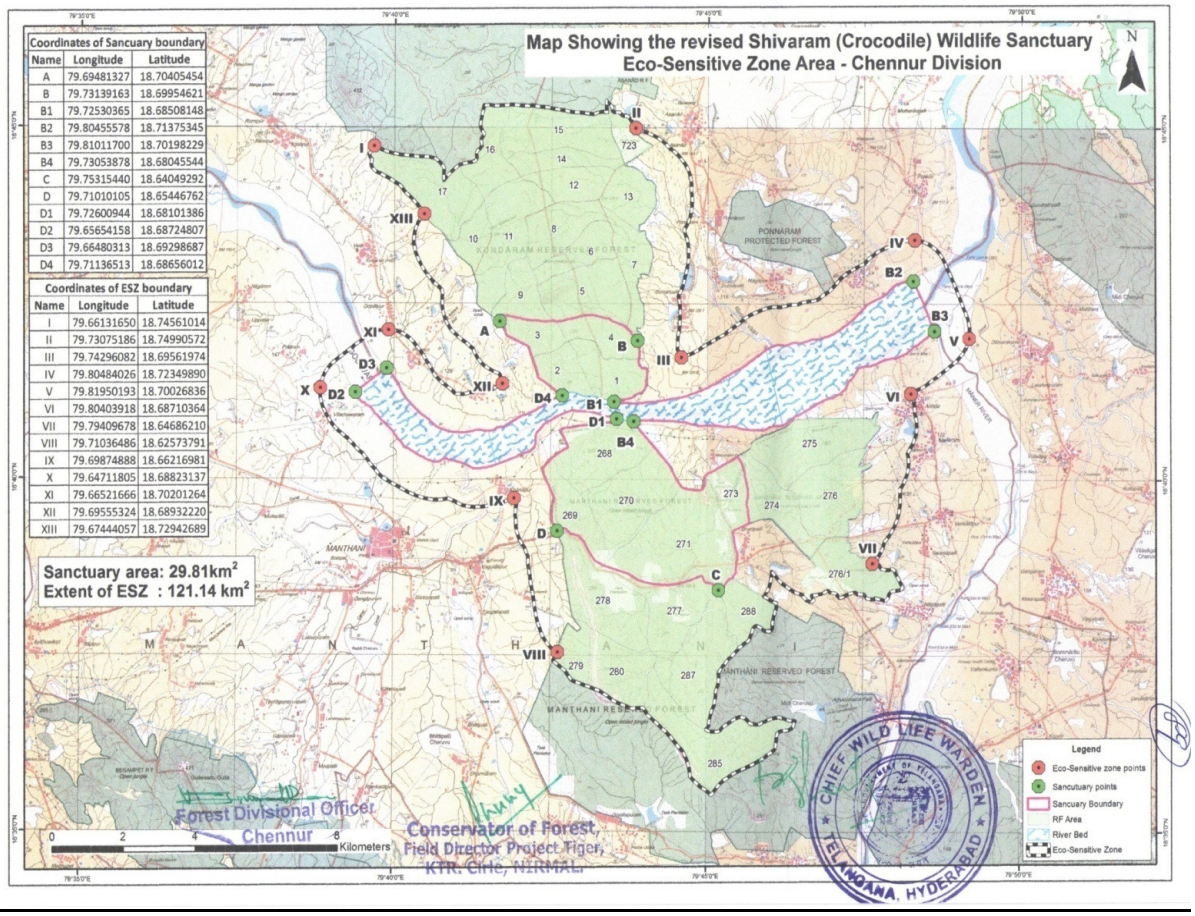

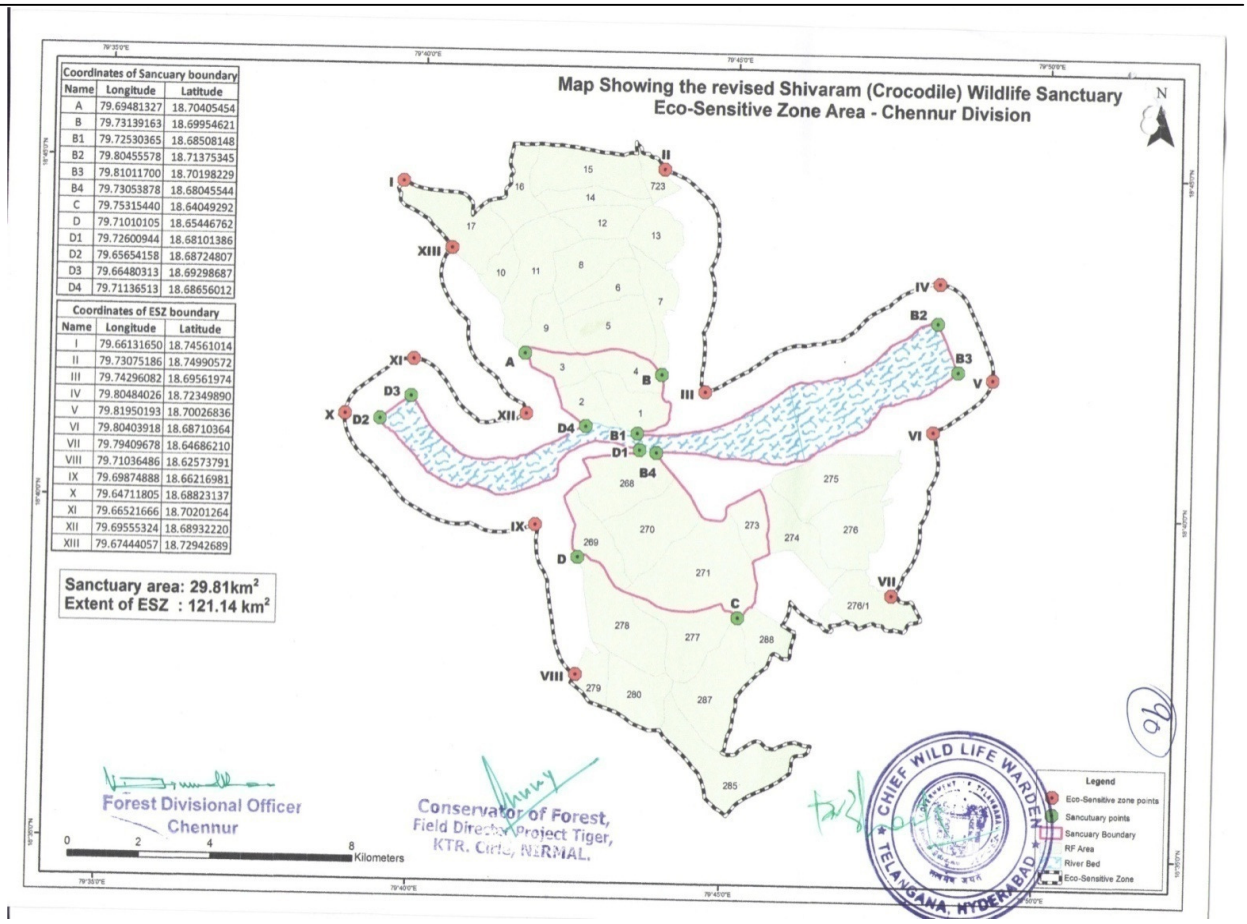

Annexure-II

Boundaries of Eco-sensitive Zone:

NORTH: The Eco-sensitive zone boundary line starts from Station No. I which is North West corner of compartment no. 17 (Lat Long -18.74561014- 79.66131650) and runs towards East along the boundary of Compt. Nos. 17, 16, 15 of Kundaram RF & 723 of Asnad RF with approximate width of 5.67 km to 5.76 km from PA boundary to reach Station No.II (Lat Long 18.74990572-79.73075186). From Station No. II it leaves the Forest boundary and enters into the Non-forest land and proceeds towards south by maintaining a distance of approximately 1.30 Km to 5.70 km from the PA boundary passing through the village shivars of Asnad, Ponnaram and Somanpalli villages of Chennur Mandal and reaches Station No.III (Lat Long 18.69561974-79.74296082).

EAST: From Station No.III the Eco-sensitive zone boundary line runs towards east by maintaining a distance of approximately 1.0 Km from the north bank of the River Godavari i.e. PA boundary through the village shivars of Somanpalli, Nagapur and Beerelli of Chennur Mandal and reaches Station No. IV (Lat Long 18.72349890-79.80484026). The line then runs towards south with a width of 1.0 km crossing the River Godavari and enters into Peddapalli District to reach Station No. V (Lat Long 18.70026836-79.81950193) which is located in Maneru river. Then the boundary line proceeds towards west by maintaining a distance of approximately 1.0 Km from the south bank of the River Godavari and reaches Station No.VI near Arenda village (Lat Long 18.68710364-79.80403918). Then the line proceeds towards south by maintaining a distance of approximately 4.75 Km from PA boundary passing through the village shivars of Mallaram, Venkatapur and Sawanpalli and reaches station No.VII (Lat Long 18.64686210-79.79409678) which is located on RF Boundary line of Compt.No.276/1 of Manthani RF.

SOUTH: From Station No.VII the Eco-sensitive zone boundary line proceeds towards west along the boundaries of Compt.No.276/1, 288, 287, 285, 280, 279 with a width of 2.00 km to 4.50 km and reaches Station No. VIII which is located on South western corner of Compt.No.279 (Lat Long 18.62573791-79.71036486).

WEST: From Station No. VIII the ESZ boundary line leaves the Forest area and enters into non forest land and proceeds towards north passing through the village shivars of Shatrulapalli, Eglaspur and Khanapur width of 1.16 to 2.87 km to reach station No. IX near Khanapur village (Lat-Long 18.66216981-79.69874888). Then the line proceeds towards west direction by maintaining approximately width of 1.00 km distance from the southern bank of the River Godavari i.e. PA boundary passing through non forest lands of Vilochawaram village and reaches Station No. X which is located 1.00 km away from Vilochawaram to Pownoor Cart track. (Lat-Long 18.68823137-79.64711805). Then the ESZ line proceeds towards northeast by crossing river Godavari and reaches Station No. XI, near Gopalpur village (Lat-Long 18.70201264-79.66521666). Then it runs in the south east direction through Pownoor and Shivaram village shivars by maintaining a width of 1.00 km to 1.70 km distance from the northern bank of the River Godavari i.e. PA boundary and reaches Station No. XII near Shiwaram village (Lat-Long 18.68932220-79.69555324). Then the ESZ line proceeds towards North by maintaining a width of 1.50 km to 2.10 Km distance from PA boundary line passing through village shivars of Gopalpur and Velal and reaches Station No. XIII which is located on the RF boundary line at Compt.No.17 (Lat-Long 18.72942689-79.67444057). The line then runs in north west direction with approximately width of 4.50 km to 5.00km from PA boundary line along Compt.No.17 and reaches Station No. I.

Annexure-III

Geo Co-ordinates of boundary of Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary, Telangana

S.No.	Lat	Long	S.No.	Lat	Long
1.	79.66639	18.70082	41.	79.81899	18.69973
2.	79.66983	18.70014	42.	79.81635	18.69337
3.	79.67341	18.69745	43.	79.81003	18.68894
4.	79.67836	18.69047	44.	79.80454	18.68614
5.	79.68090	18.68834	45.	79.79858	18.68460
6.	79.68372	18.68617	46.	79.79425	18.68079
7.	79.68835	18.68609	47.	79.79163	18.67871
8.	79.69391	18.68671	48.	79.78584	18.67624
9.	79.69754	18.68820	49.	79.77852	18.67236
10.	79.69654	18.69056	50.	79.77526	18.67037
11.	79.69165	18.69342	51.	79.77103	18.66958
12.	79.68790	18.69965	52.	79.77134	18.66389
13.	79.68722	18.70309	53.	79.77165	18.65719
14.	79.68811	18.70757	54.	79.77111	18.65216
15.	79.69034	18.71080	55.	79.76839	18.64730
16.	79.69326	18.71275	56.	79.76704	18.63987
17.	79.69869	18.71340	57.	79.76206	18.63374
18.	79.70447	18.71240	58.	79.75460	18.63041
19.	79.71181	18.71223	59.	79.74875	18.63270
20.	79.72000	18.71353	60.	79.74220	18.63178
21.	79.72645	18.71269	61.	79.73546	18.63218
22.	79.73247	18.71056	62.	79.72966	18.63363
23.	79.73563	18.70862	63.	79.72565	18.63548
24.	79.74131	18.70199	64.	79.72046	18.63709
25.	79.74244	18.69719	65.	79.71534	18.64014
26.	79.74387	18.69434	66.	79.71150	18.64451
27.	79.75018	18.69673	67.	79.70514	18.64714
28.	79.75366	18.69889	68.	79.70130	18.65408
29.	79.75816	18.70142	69.	79.70111	18.66010
30.	79.76451	18.70529	70.	79.70038	18.66144

31.	79.76937	18.70653	71.	79.69240	18.65935
32.	79.77509	18.70716	72.	79.68701	18.65962
33.	79.78066	18.70826	73.	79.68245	18.66114
34.	79.78756	18.71358	74.	79.67527	18.66141
35.	79.79300	18.71668	75.	79.66678	18.66536
36.	79.79870	18.72078	76.	79.66100	18.67110
37.	79.80487	18.72271	77.	79.65419	18.67691
38.	79.81076	18.72231	78.	79.64922	18.68329
39.	79.81563	18.71744	79.	79.65117	18.69310
40.	79.81765	18.70771	80.	79.65754	18.69712
			81.	79.66191	18.69963

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Siwaram (Crocodile) Wildlife Sanctuary, Telangana

S.No.	Lat	Long	S.No.	Lat	Long
1.	79.66639	18.70082	41.	79.81899	18.69973
2.	79.66983	18.70014	42.	79.81635	18.69337
3.	79.67341	18.69745	43.	79.81003	18.68894
4.	79.67836	18.69047	44.	79.80454	18.68614
5.	79.68090	18.68834	45.	79.79858	18.68460
6.	79.68372	18.68617	46.	79.79425	18.68079
7.	79.68835	18.68609	47.	79.79163	18.67871
8.	79.69391	18.68671	48.	79.78584	18.67624
9.	79.69754	18.68820	49.	79.77852	18.67236
10.	79.69654	18.69056	50.	79.77526	18.67037
11.	79.69165	18.69342	51.	79.77103	18.66958
12.	79.68790	18.69965	52.	79.77134	18.66389
13.	79.68722	18.70309	53.	79.77165	18.65719
14.	79.68811	18.70757	54.	79.77111	18.65216
15.	79.69034	18.71080	55.	79.76839	18.64730
16.	79.69326	18.71275	56.	79.76704	18.63987
17.	79.69869	18.71340	57.	79.76206	18.63374
18.	79.70447	18.71240	58.	79.75460	18.63041
19.	79.71181	18.71223	59.	79.74875	18.63270
20.	79.72000	18.71353	60.	79.74220	18.63178
21.	79.72645	18.71269	61.	79.73546	18.63218
22.	79.73247	18.71056	62.	79.72966	18.63363
23.	79.73563	18.70862	63.	79.72565	18.63548
24.	79.74131	18.70199	64.	79.72046	18.63709
25.	79.74244	18.69719	65.	79.71534	18.64014
26.	79.74387	18.69434	66.	79.71150	18.64451
27.	79.75018	18.69673	67.	79.70514	18.64714
28.	79.75366	18.69889	68.	79.70130	18.65408
29.	79.75816	18.70142	69.	79.70111	18.66010
30.	79.76451	18.70529	70.	79.70038	18.66144
31.	79.76937	18.70653	71.	79.69240	18.65935
32.	79.77509	18.70716	72.	79.68701	18.65962
33.	79.78066	18.70826	73.	79.68245	18.66114
34.	79.78756	18.71358	74.	79.67527	18.66141
35.	79.79300	18.71668	75.	79.66678	18.66536
36.	79.79870	18.72078	76.	79.66100	18.67110
37.	79.80487	18.72271	77.	79.65419	18.67691
38.	79.81076	18.72231	78.	79.64922	18.68329

39.	79.81563	18.71744	79.	79.65117	18.69310
40.	79.81765	18.70771	80.	79.65754	18.69712
			81.	79.66191	18.69963

Annexure IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SIWARAM (CROCODILE) WILDLIFE SANCTUARY

S1.No.	Village	Revenue Mandal	District	Co-ordinates	
				Latitude	Longitude
1	Pownoor	Jaipur	Mancherial	18.70602	79.67827
2.	Siwaram	Jaipur	Mancherial	18.68749	79.68809
3.	Somanpally	Chennur	Mancherial	18.70594	79.74349
4.	Gopalpur	Jaipur	Mancherial	18.70358	79.66721
5.	Bhatpally	Manthani	Peddapally	18.64632	79.75861
6.	Khanapur	Manthani	Peddapally	18.66373	79.69731
7.	Khansaipet	Manthani	Peddapally	18.66212	79.74982
8.	Vilochavaram	Manthani	Peddapally	18.68216	79.64934
9.	Arenda	Manthani	Peddapally	18.684589	79.80522

Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.29 19:40:57 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.